


फर्द अहकाम

उपरवर्त अधिकारी चाकूर, जमपुर ग्रामीण

गोपाल व अन्य बनाम उज्ज्वल व अन्य

संख्या / वर्ष : 68 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20 ³ /24	<p>पत्रावली वास्ते आदेशां प्राप्तकर पत्र अन्तर्गत आदेश व निष्पत्ति ॥ सिविल प्रक्रिया संहिता पैरा ६३ की उक्त परकी की वलस सुनने एवं पत्रावली का उपलब्ध दिनांक का अवलोकन करने का एक पत्र है कि यह वाद वादीगणों ने वाक्य विभाजन व (धार्मिक) निष्पत्ति नं० 1553 रकबा 0.25 है, ख. नं० 1554 रकबा 0.28 है, ख. नं० 1555 रकबा 0.50 है ख. नं० 1556 रकबा 0.22 कुल कितना 4 कुल रकबा 1.25 है एवं पैरा किया है।</p> <p>वादीगणों को यह विवादित भूमि की स्वतंत्र शरी माननीय न्याया. उपरवर्त अधिकारी, चाकूर को. उज्ज्वली वाद गंगाराम बन्धु गोपीलाल संख्या 168/2014 में घोषणात्मक आदेश दिनांक 14.10.2019 से</p>	


 उपरवर्त अधिकारी
 चाकूर, जमपुर (विजयपुर)

फर्द अहकाम

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>से प्राप्त हुई थी।</p> <p>उक्त आदेश दिनांक 14/10/19 को माननीय अपील न्यायालय राजसम अपील अधिकारी जयपुर ने अपील संख्या 549/2019 उक्त न्यायालय वकात मोदी के आदेश दिनांक 02.09.2020 को निरस्त कर दिया गया है।</p> <p>जिसकी पुष्पी माननीय जिला अपील न्यायालय राजसम उक्त न्यायालय ने अपील संख्या 3175/2020 उक्त न्यायालय वकात मोदी के आदेश दिनांक 12/01/2023 को परिशिष्ट निर्णय में कर दिया है।</p> <p>ऐसी स्थिति में वंशीगण विवादित आराजीमत के खालेदा सहस्रपातेदार नहीं रहे हैं। अतः उन्हें इस वाद हेतु कोई वादकारण उत्पन्न होना सिद्ध नहीं है।</p> <p>आर्जन पत्र अन्तर्गत आदेश में नियम 11 स्वीकार किया</p>

संख्या / वर्ष	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>आपके इलाक़े की जासूस, जयपुर (मोदी)</p> <p>गोपाल क अर्थ वनाम 02/09/2020 को</p> <p>68/2023</p>	
		<p>जाकर वादी का वाद वादकारण के अभाव में खालिज किया जाता है।</p> <p>दिली दर्दा जारी है।</p> <p>पत्रावली के लिये शुभ्य एक दिन का दे का है।</p>	<p>उपस्थित न्यायाधीश</p> <p>जयसम, वासपुर (जयपुर)</p>